रजिस्ट्री सं०डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 1974/आषाढ़ 31, 1896

No. 188] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 1974/ASADHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi the 22nd July 1974

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts petroleum crude, falling under Item No. 27(10) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of the additional duty leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is equivalent to the duty of excise for the time being leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 15 of the Oil Industry (Development) Bill, 1974 (No. 64 of 1974), which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

[No. 62/F. No. 365/7/74-Cus. I]

S NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 325 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 (10) के अन्तर्गत आने वाले कच्चे पैट्रोलियम को, जब उसका भारत में आयात किया जाय, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से, जो तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 (1974 का 64) के खण्ड 15 के उपखण्ड (1) के जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अधीन ऐसे माल पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर है, छूट देती है ।

[सं० 62/फा० सं० 365/7/74-सीमा-I]

एस० नारायणन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974